R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड XI ◆ अंक 1
जुलाई 2014

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

भुगतान बैंकों और लघु बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रारूप दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 जुलाई 2014 को अपनी वेबसाइट पर ''भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने'' और ''लघु बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने'' के लिए प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए। रिज़र्व बैंक ने सभी रूचि रखने वाली पार्टियों और आमजनता से प्रारूप दिशानिर्देशों पर विचार/अभिमत मांगे हैं। प्रारूप दिशानिर्देशों पर सुझाव और अभिमत 28 अगस्त 2014 तक मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 13वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को प्रेषित या (cgmicdbodco@rbi.org.in) पर इमेल किए जा सकते हैं। प्रारूप दिशानिर्देशों पर प्रतिसूचना, अभिमत और सुझाव प्राप्त होने के बाद अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे और भुगतान बैंक और लघु बैंक स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अवधारणा

दोनों भुगतान बैंक और लघु बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के सामान्य उद्देश्य के साथ ''विशिष्ट'' या ''भिन्न'' बैंक हैं। लघु बैंक जमाराशियां और ऋण की आपूर्ति जैसे मूल बैंकिंग उत्पाद उपलब्ध कराएंगे लेकिन उनके परिचालन का क्षेत्र सीमित होगा। भुगतान बैंक मांग जमाराशि स्वीकार करने और निधियों के विप्रेषण जैसे सीमित उत्पाद उपलब्ध कराएंगे किंतु इनका अपने स्वयं के शाखा नेटवर्क या कारोबारी प्रतिनिधियों (बीसी) या अन्य द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस स्थल का व्यापक नेटवर्क होगा। ये बैंक कम लागत पर प्रौद्योगिकीय समाधानों के अनुकूलन से इसके महत्व का संवर्धन करेंगे।

पात्रता

भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए पात्र संस्थाओं में वर्तमान गैर-बैंक प्रीपेड लिखत निर्गमकर्ता (पीपीआई), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), कंपनी कारोबारी प्रतिनिधि, मोबाइल टेलीफोन कंपनियां, सुपर बाजार श्रृंखलाएं, कंपनियां, भूसंपदा क्षेत्र सहकारी समितियां और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं शामिल हैं। लघु बैंक स्थापित करने के लिए पात्र संस्थाओं में बैंकिंग और वित्त में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले निवासी व्यक्ति, कंपनियां, सोसाइटियां, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एमएफआई) और स्थानीय क्षेत्र बैंक शामिल हैं।

भुगतान बैंकों और लघु बैंकों को प्रोत्साहन देने के लिए पात्र होने हेतु पात्र संस्थाओं को ''उपयुक्त और उचित'' होना चाहिए। रिज़र्व बैंक दुरुस्त प्रत्यय-पत्र और सत्यनिष्ठा, वित्तीय मजबूती और अपना कारोबार करने में कम से कम पांच वर्षों के सफल ट्रैक रिकार्ड के आधार पर आवेदकों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का आकलन करेगा।

दोनों भुगतान और लघु बैंकों की न्यूनतम चुकता पूंजी आवश्यकता ₹100 करोड़ रखी गई है जिसमें से प्रवर्तकों का प्रारंभिक न्यूनतम योगदान कम से कम 40 प्रतिशत होगा और इसकी लॉक-इन अवधि पांच वर्ष होगी। प्रवर्तकों की शेयरधारिता कम करके बैंक का कारोबार शुरूकरने की तारीख के तीन वर्ष के अंदर 40 प्रतिशत, 10 वर्ष की अवधि के अंदर 30 प्रतिशत और 12 वर्ष के अंदर 26 प्रतिशत तक की जाए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न या प्रतिबंधित बैंकों के रूप में भुगतान बैंकों और लघु बैंकों पर प्रारूप दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। रिज़र्व बैंक सार्वभौमिक बैंकों के निरंतर प्राधिकार के लिए दिशानिर्देशों पर कार्य कर रहा है और इनके लिए अलग-अलग दिशानिर्देश तैयार करेगा।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
• भुगतान बैंकों और लघु बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रारूप दिशानिर्देश	1
• दीर्घावधि बांड जुटाने के लिए लचीली ऋण संरचना	2
• प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) पर कार्रवाई हेतु रूपरेखा	2
• गैर-कृषि प्रयोजन हेतु स्वर्ण आभूषणों के बदले ऋण	2
• विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के अंतर्गत अंतर-सरकारी करार (आईजीए) - पंजीकरण	2
• बैंकों द्वारा दीर्घावधि सावधि बांडों का निर्गम	2
• स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तेलंगना में राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक होगा	2
सहकारी बैंकिंग	
• शहरी सहकारी बैंकों द्वारा ऑन-साइट/ऑफ-साइट एटीएम खोलने के लिए मानदंड	2
फेमा	
• क्षेत्रीय कार्यालयों को रुपया आहरण व्यवस्था से संबंधित कार्य का प्रत्यायोजन	3
• मुद्रा अंतरण सेवा योजना - क्षेत्रीय कार्यालयों को कार्य का प्रत्यायोजन	3
• आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों और वारंटों का निर्गम	3
• निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना - सीमा में वृद्धि	3
ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग	
• वित्तीय साक्षरता केंद्रों और ग्रामीण बैंक शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता	3
• वित्तीय साक्षरता गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा मार्च 2017 तक सांविधिक चलनिधि अनुपात पूरा करना	3
रिपोर्ट/दिशानिर्देश	
• व्यापार प्राप्य राशि कटौती प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित करने के लिए प्रारूप दिशानिर्देश	3
• भारत में प्रतिचक्रीय पूंजी बफर संरचना के कार्यान्वयन पर आंतरिक कार्यदल की अंतिम रिपोर्ट	3
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2014 जारी किया	4

दीर्घावधि बांड जुटाने के लिए लचीली ऋण संरचना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 जुलाई 2014 को बैंकों को कई अनुदेश जारी किए हैं जिनमें परिचालनात्मक दिशानिर्देश और ऋण संरचना और पुनर्वित्त के लचीलेपन के रूप में प्रोत्साहन और नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (सीआरआर), सांविधिक प्रारक्षित निधि अनुपात (एसएलआर) और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार जैसी विनियामक आवश्यकताओं से छूट प्रदान करना विनिर्दिष्ट किया गया है। इन अनुदेशों का उद्देश्य मूलभूत सुविधा और मुख्य उद्योग क्षेत्र के लिए परियोजना ऋण प्रदान करने में बैंकों द्वारा सामना की जाने वाली आस्ति-देयता प्रबंध (एएलएम) समस्याओं को कम करना है और मूलभूत सुविधा तथा वहनीय आवास क्षेत्रों के लिए परियोजना ऋण हेतु दीर्घावधि संसाधन जुटाना आसान करना है। ये अनुदेश निम्नलिखित अधिसूचनाओं में दिए गए हैं:

1. डीबीओडी. बीपी. बीसी. सं.24/21.04.132/2014-15 दिनांक 15 जुलाई 2014; और
2. डीबीओडी. बीपी. बीसी. सं.25/08.12.014/2014-15 दिनांक 15 जुलाई 2014

पहली अधिसूचना में अनुदेश मूलभूत सुविधा और मुख्य उद्योग क्षेत्रों के लिए नए परियोजना ऋण की लचीली संरचना और पुनर्वित्त के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश दर्शाते हैं। दूसरी अधिसूचना में अनुदेश मूलभूत सुविधा परियोजना ऋण के वित्तपोषण और वहनीय आवास के लिए बैंकों द्वारा दीर्घावधि बांड जारी करने के लिए दिशानिर्देश तथा ऐसे बांडों पर सीआरआर, एसएलआर और पीएसएल जैसी विनियामक आवश्यकताओं से छूट दर्शाते हैं। यदि बैंक बांड निर्गम सफल सिद्ध होता है तो संपार्श्विक लाभ घरेलू कंपनी बांड बाजार का विकास है।

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) पर कार्रवाई हेतु रूपरेखा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 जुलाई 2014 को अपनी वेबसाइट पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) पर कार्रवाई हेतु रूपरेखा जारी की। रूपरेखा में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की पहचान करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति और उन अतिरिक्त विनियामक/पर्यवेक्षी नीतियों पर चर्चा की गई जिसके अधीन प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक होंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई गई आकलन पद्धति एक बैंक के घरेलू महत्व को प्राप्त करने के लिए उचित संशोधनों के साथ वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की पहचान करने के लिए मुख्य रूप से बीसीबीएस पद्धति पर आधारित है। आकलन के लिए प्रयोग किए जाने वाले सूचक हैं: आकार, अंत:संबद्धता, प्रतिस्थापन और जटिलता। प्रणालीगत महत्व के परिकलन के लिए चुने गए बैंकों के नमूने के आधार पर बैंकों के तुलनात्मक संयुक्त प्रणालीगत महत्व के स्कोर का परिकलन किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक एक कट-ऑफ स्कोर निर्धारित करेगा जिससे ऊपर बैंकों को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक माना जाएगा। आरोही क्रम में बैंकों के प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण स्कोर के आधार पर बैंकों को चार विभिन्न समूहों में रखा जाएगा और उन्हें अपने-अपने समूहों के आधार पर जोखिम भारित आस्तियों की 0.20% से 0.80% तक सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी आवश्यकता रखना जरूरी होगा। 31 मार्च 2013 के आंकड़ों के आधार पर यह अपेक्षा की जाती है कि विभिन्न समूहों के अंतर्गत लगभग 4 से 6 बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में पदनामित किया जाएगा। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक वित्तीय प्रणाली के जोखिमों के आधार पर अलग-अलग पर्यवेक्षी आवश्यकताओं तथा उच्चतर पर्यवेक्षण सघनता के अधीन होंगे।

प्रणालीगत रूप से महत्व के स्कोर की गणना वार्षिक अंतराल पर की जाएगी। घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में वर्गीकृत बैंकों के नाम वर्ष 2015 से शुरू कर प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में प्रकट किए जाएंगे।

गैर-कृषि प्रयोजन हेतु स्वर्ण आभूषणों के बदले ऋण

रिज़र्व बैंक ने 22 जुलाई 2014 को निर्णय लिया है कि स्वर्ण आभूषणों और गहनों के बंधक पर गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए दिया जाने वाला ऋण जहां ब्याज और मूलधन दोनों ही ऋण की परिपक्वता पर भुगतान के लिए देय होते हैं, कुछ संशोधित शर्तों के अधीन होगा।

रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि 75 प्रतिशत मूल्य के अनुपात में ऋण (एलटीवी) गैर-कृषि अंतिम उपयोग के लिए स्वर्ण आभूषणों और गहनों के बंधक के बदले दिए जाने वाले सभी ऋणों के लिए ऋण की अवधि में बनाए रखा जाएगा। एलटीवी अनुपात को खाते में कुल बकाया राशि से परिकलित किया जाएगा जिसमें उपार्जित ब्याज, और 20 जनवरी 2014 के परिपत्र में निर्धारित पद्धति के अनुसार जमानत/संपार्श्विक के रूप में स्वीकृत स्वर्ण आभूषणों का वर्तमान मूल्य शामिल होगा।

स्वर्ण के मूल्यनिर्धारण के प्रयोजन हेतु बैंकों द्वारा इंडिया बुलियन और ज्वेलर्स संघ लिमिटेड द्वारा प्रसारित मूल्य के अतिरिक्त फारवर्ड बाजार आयोग द्वारा अनुरूप तरीके से नियंत्रित किसी पण्य वस्तु विनिमय बाजार द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित ऐतिहासिक स्पॉट स्वर्ण मूल्य आंकड़ों का उपयोग अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जा सकता है।

यह निर्णय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों से अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद लिया गया था जिसमें बैंकों ने सोने के आभूषणों और गहनों के बंधक के बदले गैर-कृषि ऋण के लिए लागू निर्धारित सीमा में वृद्धि करने और समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है, जहां विशेषकर 20 जनवरी 2014 के हमारे परिपत्र के अनुसार ब्याज और मूलधन दोनों का भुगतान ऐसे ऋण के लिए मूल्य के अनुपात में ऋण (एलटीवी) की उच्चतम सीमा की शुरूआत के नजरिए से ऋण की परिपक्वता पर किया जाता है।

विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के अंतर्गत अंतर-सरकारी करार (आईजीए) - पंजीकरण

रिज़र्व बैंक ने 27 जून 2014 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों(आरआरबी) को छोड़कर)/स्थानीय क्षेत्र बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया था कि वे संयुक्त राज्य प्राधिकारों से उनके पंजीकरण और वैश्विक मध्यस्थ पहचान संख्या (पीआईएन) प्राप्त करने संबंधी कुछ अनुदेशों को देखें क्योंकि भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) द्वारा विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के कार्यान्वयन के लिए अंतर-सरकारी करार (आईजीए) पर पर्याप्त रूप से एक करार किया है और भारत को 11 अप्रैल 2014 से आईजीए प्राप्त माना गया है। तथापि, आईजीए पर हस्ताक्षर मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद ही किए जाएंगे।

एफएटीसीए एक युनाइटेड स्टेट्स फेडरल कानून है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर रहने वाले व्यक्तियों सहित संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यक्तियों के लिए अमेरिका से बाहर धारित उनके वित्तीय खातों की सूचना देना अपेक्षित है तथा विदेशी वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे अपने अमेरिकी ग्राहकों के बारे में आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) को इसकी सूचना दें।

बैंकों द्वारा दीर्घावधि सावधि बांडों का निर्गम

रिज़र्व बैंक ने 15 जुलाई 2014 को मूलभूत सुविधा और वहनीय आवास क्षेत्र के लिए दीर्घावधि ऋण के वित्तपोषण के लिए दीर्घावधि संसाधन जुटाने हेतु बैंकों के लिए राह आसान की। इससे वृद्धि और स्थिरता दोनों को बढ़ावा मिलेगा और आपूर्ति पक्ष में सुधार होगा। मूलभूत सुविधा क्षेत्र और देश की वहनीय आवास आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को इन क्षेत्रों के लिए उधार का वित्तपोषण करने हेतु उनके पास पहले से उपलब्ध दीर्घावधि वित्तीय अवसरों का अधिकाधिक उपयोग करने में प्रोत्साहन देने के लिए इस विषय पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की न्यूनतम कतिपय विनियामक आवश्यकताओं की दृष्टि से समीक्षा की गई है। संशोधित अनुदेश भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।

शहरी सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा ऑन-साइट/ऑफ-साइट एटीएम खोलने के लिए मानदंड

रिज़र्व बैंक ने 2 जुलाई 2014 को कतिपय मापदंडों को पूरा करने वाले कोर बैंकिंग सोल्यूशन समर्थित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को चयनित शर्तों के अधीन रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लिए बिना अपने परिचालन क्षेत्र में अपनी आवश्यकता और संभावना के अनुसार ऑन-साइट/ऑफ-साइट एटीएम संस्थापित करने की अनुमति दी है।

फेमा

क्षेत्रीय कार्यालयों को रुपया आहरण व्यवस्था से संबंधित कार्य का प्रत्यायोजन

रिज़र्व बैंक ने 18 जुलाई 2014 को अनिवासी मुद्रा विनिमय गृह के साथ रुपया आहरण व्यवस्था लागू करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों (एडी श्रेणी- I) को पहली बार अनुमति प्रदान करने का कार्य अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्यायोजित किया। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक जो पहली बार अनिवासी मुद्रा विनिमय गृह के साथ रुपया/विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था लागू करने के इच्छुक हैं, वे निर्धारित प्रा प में अपना आवेदन रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करें जिसके अधिकार क्षेत्र में वे आते हैं। बाद में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) लागू कर सकते हैं और रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को इसकी तत्काल सूचना दें।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक रुपया/विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था (आरडीए) के अंतर्गत उनके द्वारा रखे जाने विदेशी मुद्रा विनिमय गृहों के वोस्ट्रो खातों पर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक अपने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट नोट रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें जिसके अधिकार क्षेत्र में वे आते हैं।

मुद्रा अंतरण सेवा योजना - क्षेत्रीय कार्यालयों को कार्य का प्रत्यायोजन

रिज़र्व बैंक ने 18 जुलाई 2014 को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के अंतर्गत भारतीय एजेंट के रूप में कार्य करने वाले प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया है कि भारतीय एजेंटों के प्राधिकार से संबंधित कार्य रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्यायोजित किया गया है। मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के अंतर्गत भारतीय एजेंट के रूप में कार्य करने की आवश्यक अनुमति के लिए आवेदन अब रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को किया जाए जिसके अधिकार क्षेत्र में आवेदक आता है।

आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों और वारंटों का निर्गम

आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों और वारंटों के संबंध में नीति की समीक्षा करने पर रिज़र्व बैंक ने 14 जुलाई 2014 को निर्णय लिया कि किसी भारतीय द्वारा जारी किए गए आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर और वारंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई) योजनाओं के अनुपालन के अधीन विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशकों (आरएफपीआई) द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संविभाग निवेश के प्रयोजन हेतु पात्र लिखत होंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लेनदेन के लिए अपफ्रंट/कॉल भुगतान के लिए विदेशी आवक विप्रेषण की प्राप्ति की सूचना अग्रिम रिपोर्टिंग फॉर्म में की जाएगी।

निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना - सीमा में वृद्धि

रिज़र्व बैंक ने 17 जुलाई 2014 को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों को उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत किसी भी अनुमत चालू या पूंजी खाते लेनदेन या संयुक्त रूप से दोनों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1,25,000 अमेरिकी डालर तक का विप्रेषण करने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना का अब भारत से बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों का निर्गम/अंतरण

रिज़र्व बैंक ने सूचीबद्ध/असूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के विकल्प खंड के साथ और इसके बिना शेयरों के अंतरण/निर्गम और इक्विटी शेयरों में निवेश से बाहर होने के संबंध में वर्तमान मूल्यनिर्धारण दिशानिर्देशों को 15 जुलाई 2014 को संशोधित किया है जिससे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ढांचे के अंतर्गत संबंधित पार्टियों को अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन मुहैया कराया जा सके। नए मूल्यनिर्धारण दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग

वित्तीय साक्षरता केंद्रों और ग्रामीण बैंक शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता

रिज़र्व बैंक ने 7 जुलाई 2014 को निर्णय लिया है कि वे ग्रामीण बैंक शाखाएं वित्तीय साक्षरता कार्यकलापों की निगरानी करें जिन्हें तिमाही आधार पर महीनें में कम से कम एक वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। चूंकि वित्तीय साक्षरता कैंप पिछले दो वर्षों से आयोजित किए जा रहे हैं, रिज़र्व बैंक ने इन कैंपों के माध्यम से हासिल वित्तीय साक्षरता का आकलन करने का निर्णय किया है। तदनुसार रिज़र्व बैंक ने सभी राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी)/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समितियों (यूटीएलबीसी) को सूचित किया है कि वे ग्रामीण बैंक शाखाओं और वित्तीय साक्षरता केंद्रों द्वारा किए गए वित्तीय साक्षरता कार्यकलापों की तिमाही रिपोर्टें निर्धारित प्रारूपों में रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 20 दिन के अंदर प्रस्तुत करें।

गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा मार्च 2017 तक सांविधिक चलनिधि अनुपात पूरा करना

समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) और सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) आस्तियों के अनुरक्षण के रूप और तरीके से संबंधित संशोधित वितरण में परिवर्तन को समायोजित किया जाए। अब इन बैंकों को निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से संशोधित मानदंडों का अनुपालन करने के लिए 31 मार्च 2017 तक का समय दिया गया है:

तारीख	एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
31 मार्च 2015	5%
31 मार्च 2016	10%
31 मार्च 2017	इस तारीख को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित संपूर्ण एसएलआर

बैंककारी नियम (संशोधन) अधिनियम, 2012 को लागू करने के आधार पर जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक को गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) और एसएलआर के प्रतिशत तथा सहकारी बैंकों द्वारा धारित एसएलआर के रूप और तरीके को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, यह निर्णय लिया गया है कि गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए सीआरआर 12 जुलाई 2014 से शुरू होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के समान उनकी कुल निवल मांग और समय देयताओं के 3.00 प्रतिशत से 100 आधार बिन्दु बढ़ाकर 4.00 प्रतिशत कर दी जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य सहकारी बैंकों/केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए एसएलआर आस्तियों के अनुरक्षण का रूप और तरीका निर्धारित किया जाए। इस संबंध में राज्य सहकारी बैंकों/केंद्रीय सहकारी बैंकों को जारी अनुदेशों का संशोधित परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

रिपोर्ट/दिशानिर्देश

व्यापार प्राप्य राशि कटौती प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित करने के लिए प्रारूप दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य राशि कटौती प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित करने के लिए प्रारूप दिशानिर्देशों पर जनता/स्टेकधारकों से प्रतिसूचना (फीडबैक) मांगी है। टिप्पणियां प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को 8 अगस्त 2014 को या इससे पहले भेजी जा सकती हैं। दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।

भारत में प्रतिचक्रीय पूंजी बफर संरचना के कार्यान्वयन पर आंतरिक कार्यदल की अंतिम रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 जुलाई 2014 को भारत में प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीसीबी) के कार्यान्वयन पर आंतरिक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री बी. महापात्रा) की अंतिम रिपोर्ट जारी की।

Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

आंतरिक कार्यदल की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- जबकि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में ऋण का उपयोग सीसीसीबी के निर्णय के लिए अनुभवजन्य विश्लेषण के लिए किया जाएगा, यह भारत में बैंकों के लिए सीसीसीबी ढांचे में एकमात्र संदर्भ बिन्दु नहीं हो सकता है तथा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में ऋण का उपयोग भारत में सीसीसीबी के निर्णयों हेतु सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) जैसे अन्य सूचकों के साथ किया जा सकता है।
- सीसीसीबी निर्णय की घोषणा 4 तिमाही पहले की जाए।
- जहां सीसीसीबी सक्रिय है वहां न्यून सीमा (एल) सकल घरेलू उत्पाद अंतराल के अनुपात के रूप में ऋण के 3 प्रतिशत बिन्दु तक निर्धारित की जा सकती है बशर्ते कि जीएनपीए के साथ इसका संबंध उल्लेखनीय रहे और जहां सीसीसीबी अपने उच्चतम स्तर पर है, वहां उपरि सीमा (एच) को सकल घरेलू उत्पाद अंतराल के अनुपात में ऋण के 15 बिन्दुओं तक रखा जा सकता है।
- सीसीसीबी धीरे-धीरे बैंक की जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के 0 से 2.5 प्रतिशत तक बढ़ेगा किंतु वृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद अंतराल के अनुपात में ऋण के स्तर/स्थिति के आधार पर 3 और 15 प्रतिशत बिन्दुओं के बीच अलग-अलग रहेगी। उदाहरण के लिए सीसीसीबी आवश्यकता रैखिक रूप से 0 से 20 आधार बिन्दुओं तक बढ़ेगी जहां सकल घरेलू उत्पाद अंतराल के अनुपात में ऋण 3 से 7 आधार बिन्दुओं तक बढ़ता है। इसी तरह सकल घरेलू उत्पाद अंतराल के अनुपात में ऋण की 7 से ऊपर और 11 प्रतिशत बिन्दुओं की सीमा के लिए सीसीसीबी आवश्यकता रैखिक रूप से 20 से 90 तक आधार बिन्दुओं तक बढ़ेगी। अंततः सकल घरेलू उत्पाद के अंतराल के अनुपात में ऋण के 11 से ऊपर और 15 तक प्रतिशत बिन्दुओं की सीमा में सीसीसीबी आवश्यकता रैखिक रूप से 90 से 250 आधार बिन्दुओं तक बढ़ेगी। तथापि, यदि सकल घरेलू उत्पाद अंतराल के अनुपात में ऋण 15 प्रतिशत आधार बिन्दुओं से अधिक होता है तो बफर आरडब्ल्यूए के 2.5 प्रतिशत पर होगा। यदि सकल घरेलू उत्पाद के अंतराल के अनुपात में ऋण 3 प्रतिशत बिन्दुओं से नीचे है तो सीसीसीबी आवश्यकता नहीं होगी।
- अनुपूरक सूचकों में तीन वर्षों की अस्थिर अवधि के लिए वृद्धिशील सी-डी अनुपात (सकल घरेलू उत्पाद अंतराल के अनुपात में ऋण और जीएनपीए वृद्धि से इसके संबंध के साथ), उद्योग संभावना आकलन संकेतक (जीएनपीए वृद्धि से इसके संबंध के साथ) और ब्याज कवरेज अनुपात (सकल घरेलू उत्पाद अंतराल से इसके संबंध के साथ) शामिल होगा। इसी बीच आवास मूल्य संकेतक/रेजिडेक्स जैसे संकेतक और ऋण स्थिति सर्वेक्षण सीसीसीबी निर्णय के लिए अनुपूरक सूचकों का एक भाग भी बन सकते हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक बफर को सक्रिय करते या समायोजित करते समय सूचकों के उपयोग के मामले में विवेक का उपयोग कर सकता है।

  भारत में सीसीसीबी ढांचा क्षेत्रकीय दृष्टिकोण के साथ परिचालित किया जा सकता है जिसे लंबे समय से भारत में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।
- सीसीसीबी को सक्रिय करने में उपयोग किए जाने वाले वही सूचक सीसीसीबी जारी करने के चरण के लिए निर्णय लेने हेतु उपयोग किए जा सकते हैं। तथापि, कठोर नियम आधारित दृष्टिकोण की बजाय सीसीसीबी जारी करने के चरण को परिचालित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्णय के उपयोग और विवेक के मामले में लचीलापन उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण सीसीसीबी समय पर एकल बिन्दु पर शीघ्रता के साथ जारी किया जा सकता है।
- सीसीसीबी को सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी के रूप में ही बनाया रखा जाए।
- भारत में परिचालित सभी बैंकों के लिए सीसीसीबी को एकल आधार और समेकित आधार पर बनाए रखा जाएगा।
- सीसीसीबी निर्णयों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सूचक और शुरूआती सीमाएं निरंतर अनुसंधान और उनके उपयोग के लिए अनुभवजन्य परीक्षण के अधीन हैं तथा सीसीसीबी निर्णयों को सहायता देने के लिए नए सूचकों को तलाशा जा सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2014 जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 जून 2014 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2014 जारी किया जो इसके छमाही प्रकाशन का नौवां अंक है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता के प्रति जोखिमों पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफसडीसी) उप समिति के सामूहिक आकलन को दर्शाती है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में संवेदनशीलताओं के बारे में जागरूकता फैलाना, वित्तीय संस्थाओं की अनुकूलताओं के बारे में जानकारी देना तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन के संबंधित मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाना है।

अद्यतन अंक उस समय जारी किया जा रहा है जब वैश्विक वित्तीय बाजार सुधरती हुई स्थिरता के संकेत दे रहे हैं यद्यपि वृद्धि अभी भी मज़बूत आधार पर नहीं है तथा सहज मौद्रिक नीति कई क्षेत्रों में जारी है। घरेलू मोर्चे पर राजनीतिक स्थिरता की वापसी ने संभावना को प्रोत्साहन दिया है तथा पूंजी बाजार वृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलता और बचत-निवेश संतुलन के समाधान के साथ-साथ नीतियों और कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के नीतिगत उपायों पर प्रत्याशाएं दर्शाते हैं।

भारतीय वित्तीय प्रणाली स्थिर बनी हुई है यद्यपि बैंकिंग क्षेत्र मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यद्यपि सितंबर 2013 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल सकल अग्रिम के प्रतिशत (जीएनपीए अनुपात) के रूप में सकल अनर्जक अग्रिमों का स्तर उल्लेखनीय रूप से अन्य बैंक समूहों की तुलना में अधिक है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व ढांचा और पुनःपूंजीकरण सरकार की नीति और वित्तीय स्थिति पर निर्भर है, बाजार अनुशासन पर व्यापक जोर डालने के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अभिशासन संरचना की पुनः समीक्षा का मामला बनता है।

समष्टि तनाव जांच यह दर्शाती है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रणाली स्तर पर जोखिम आधारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) प्रतिकूल समष्टि आर्थिक स्थितियों के अंतर्गत भी विनियामक न्यूनतम से काफी ऊपर बना हुआ है।

भारत में प्रतिभूति बाजारों का विनियमन अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के अनुरूप है, यद्यपि भारतीय बाजारों में पारस्परिक निधियां और अन्य आस्ति प्रबंध गतिविधियां अन्य क्षेत्रों में अनुभूत जोखिमों के समान जोखिम धारण नहीं करती हैं। बीमा कंपनियों की ऋण गतिविधि यद्यपि सापेक्षतः लघु और अन्य बीमा कंपनियों के लिए लागू निर्धारित एक्सपोज़र सीमाओं के भीतर है, उन्हें कारगर बनाने और विनियामक अधिनिर्णय की संभावना को समाप्त करने के लिए बैंकों की तुलना में एक विवेकशील ढांचे के अंतर्गत उनकी निगरानी किए जाने की जरूरत है। कंपनी अभिशासन के संशोधित मानदण्डों के साथ-साथ मालगोदाम और संबंधित प्रक्रियाओं से पण्यवस्तु व्युत्पन्नी बाजार के कार्यकलाप को सुदृढ़ किए जाने की आशा की जाती है। भारत के पेंशन क्षेत्र के संबंध में कई पारिभाषित पेंशन लाभ योजनाओं के मामले में अपर्याप्त देयता अभिकलन आने वाले वर्षों में राजकोषीय तनाव का एक संभावित स्रोत बन सकता है।

प्रिय पाठको,

ई-एमसीआईआर

व्यय में अधिक मितव्ययिता और हरित प्रयास के लिए मोनेटरी एंड क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) अब केवल ई-रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

इस अंक से एमसीआईआर अपने पाठकों के लिए केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in/MCIR) पर उपलब्ध रहेगा।

जो पाठक इ-मेल के माध्यम से एमसीआईआर प्राप्त करना चाहते हैं, वे कृपया अपना पता helpdoc@rbi.org.in को भेजें।

संपादक

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**